

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वित्त विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर**  
**//आदेश//**

अटल नगर, दिनांक 13 / 11 / 2018

क्रमांक 1371/F-2016-04-02988 / 2016 / स्था. / चार :: विभागीय आदेश क्रमांक 673 / F-2016-04-02988 / 2016 / स्था. / चार, दिनांक 4.7.2017 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा के सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षावधि समाप्त करने तथा स्थाईकरण पर विचार करने हेतु विभागीय छानबीन समिति का गठन किया गया था। जिसमें आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	अध्यक्ष
2.	संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़	सदस्य
3.	विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

*(P. D. C. S.)*  
13/11/2018  
 (प्रेमा गुलाब एक्का)  
 अवर सचिव

पृ.क्र. 1372/ F-2016-04-02988 / 2016 / स्था. / चार अटल नगर, दिनांक 13 / 11 / 2018  
 प्रतिलिपि :-

01. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
02. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, जिला-रायपुर
03. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, अटल नगर, जिला-रायपुर
04. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, अटल नगर, जिला- रायपुर
05. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर
06. आदेश फोल्डर

—को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*(P. D. C. S.)*  
13/11/2018  
 अवर सचिव